न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 894/2022

अनवान : –

1. बृजलाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र मूलाराम जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
2. शिवभगवान पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
4. कमलेश पुत्री मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
5. शिला देवी पुत्री मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी **वादी**
श्री अजयगुरू अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 17/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 59/58 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 19/120 हिस्सा व रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की 18.9750 हैक्ट भूमि में से 1/25 हिस्सा तथा खाता स0 63/61 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक सम्पति है जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ उक्त वादी भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 4 व 5 जो की वादी की बहिन है उपरोक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है है वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि बाबत मुताबिक समझौता रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 18.9750 हैक्ट भूमि में से 1/25 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 न वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 3 काबिज है एवं रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 63/61 की भूमि पर प्रतिवादी स0 1 काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में [illegible] है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादी स0 1 [illegible] हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] दिन तक आजकल [illegible]ल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश [illegible] गया है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 5 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया। प्रतिवादी स0 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेज सबूत प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी रोही मौजा चक 24 एनटीआर सम्वत 2074–2077 खाता स0 59/58 ईएक्सपी–1, जमाबंदी रोही मोजा 24 एनटीआर चक 24 एनटीआर सम्वत 2074–2077 खाता स0 63/61 ईएक्सपी–2, जमाबंदी रोही मौजा 24 एनटीआर खाता स0 2074–2077 खाता स0 13/13 ईएक्सपी–3, रोही मौजा चक 22 एनटीआर नामान्तरण स0 604 ईएक्सपी –4 प्रदर्शित करवायें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 4 व 5 अपने हक हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 3 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 59/58 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 19/120 हिस्सा व रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की 18.9750 हैक्ट भूमि में से 1/25 हिस्सा तथा खाता स0 63/61 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी, प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 59/58 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

19/120 हिस्सा व रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 18.9750 हैक्ट भूमि में से 1/25 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 63/61 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि, प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 894/2022
अनवान : –

1. बृजलाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मोहनलाल पुत्र मूलाराम जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
2. शिवभगवान पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
4. कमलेश पुत्री मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
5. शिला देवी पुत्री मोहनलाल जाति माली निवासी चक 24 एनटीआर तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 894 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी व वकील प्रतिवादी श्री अजय गुरू की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 59/58 की कुल 9.1080 हैक्ट भूमि में से 19/120 हिस्सा व रोही मौजा चक 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13/13 की कुल 18.9750 हैक्ट भूमि में से 1/25 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी स0 2 व 3 को बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 24 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 63/61 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि, प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:06:45 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर